

अनुलग्नक-4

मार्गदर्शन नोट - क्लाइंट्स के लिए करने के लिए योग्य और नहीं करने योग्य बातें

ऐसा करें

1. एक्सचेंज के केवल पंजीकृत सदस्यों के माध्यम से ट्रेड करें। एक्सचेंज में सदस्य पंजीकृत है या नहीं, यह जानने के लिए निम्न लिंक पर एक्सचेंज की वेबसाइट देखें।
2. ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप मानक 'अपने ग्राहक (client / investor) को जानें (KYC)' फार्म भरे जाने का आग्रह करें।
3. एक अद्वितीय क्लाइंट कोड (UCC) प्राप्त करने पर का आग्रह करें और सुनिश्चित करें कि आपके सभी सौदे उक्त UCC के तहत ही किए जाएं।
4. 'जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज (Risk Disclosure Document)' की एक मानक प्रति पढ़ने और उस पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करें।
5. अपने KYC तथा/या आप द्वारा सदस्य (Members / Stock Brokers) के साथ निष्पादित अन्य दस्तावेजों की एक प्रति सदस्य से प्राप्त करें।
6. एक्सचेंज पर किए जाने वाले सौदों की असलियत की दोहरी जाँच निम्न लिंक पर एक्सचेंज की वेबसाइट-पर उपलब्ध ट्रेड सत्यापन सुविधा से करें। सौदों को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है जहाँ ट्रेड जानकारी ट्रेड की तिथि से 5 कार्यदिवसों तक उपलब्ध होती है।
7. प्रत्येक निष्पादित ट्रेड के लिए, ट्रेड के 24 घंटों के अंदर, निर्दिष्ट प्रारूप में एक समुचित हस्ताक्षरित कांट्रैक्ट नोट हेतु आग्रह करें जिसमें आपके UCC के साथ ट्रेड के विवरण दिए गए हों।
8. सुनिश्चित करें कि कांट्रैक्ट नोट में सभी संबंधित जानकारी हो जैसे कि सदस्य पंजीकरण संख्या, आर्डर सं., आर्डर की तिथि, आर्डर का समय, ट्रेड सं., ट्रेड दर, मात्रा, विवाचन उपबंध इत्यादि।
9. सदस्य के पास मार्जिन के रूप में जमा बंधकों की पावती प्राप्त करें।
10. अपने तथा सदस्य के अधिकार व कर्तव्य जानने के लिए एक्सचेंज तथा नियामकों, सरकार व अन्य प्राधिकारियों के नियम, उप-नियम, विनियम, परिपत्र, निर्देशक, अधिसूचनाएं आदि देखें।
11. लेनदेन करने से पहले अपने सदस्य से सभी संबंधित प्रश्न पूछें और अपने संदेह दूर करें।
12. प्रत्येक निपटान के बिलों की प्राप्ति हेतु आग्रह करें।
13. अपने खाते के मासिक विवरण हेतु आग्रह करें और विवरण में किन्हीं विसंगतियों की सूचना अपने सदस्य को 7 कार्यदिवसों के अंदर दें। असंतोषजनक उत्तर की स्थिति में विसंगति की रिपोर्ट एक्सचेंज को कार्यवाही तिथि से 15 कार्यदिवसों के अंदर करें।
14. अपने डिपॉजिटरी भागीदार से प्राप्त लेनदेन व होल्डिंग विवरणों की बारीकी से जाँच करें।
15. DP द्वारा निर्गत डिलीवरी निर्देश पर्चियां (DIS) पुस्तक सुरक्षित कब्जे में रखें।
16. सुनिश्चित करें कि DIS संख्या पहले से छपी हो और आपका खाता नम्बर (UCC) DIS पुस्तक में लिखा हो।

17. लम्बी अवधि तक अपनी अनुपस्थिति या खाता अक्सर उपयोग न किए जाने के मामले में अपना डीमैट खाता फ्रीज कर दें।
18. आवश्यक मार्जिनों का भुगतान समय से, तथा केवल बैंक द्वारा करें और सदस्य से उसकी रसीद देने का आग्रह करें।
19. बिक्री की स्थिति में कमोडिटीज (commodities) की डिलीवरी या खरीद की स्थिति में धनराशि का भुगतान समय से करें।
20. डेरिवेटिव्स (derivatives) के लिए खाता मानकों को समझें और उनका पालन करें।
21. आपके व सदस्य के बीच सहमतिप्राप्त स्वैच्छिक उपबंधों, यदि कोई हों, को पढ़ना, समझना और फिर उन पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। नोट करें कि आप व सदस्य द्वारा सहमतिप्राप्त उपबंध आपकी सहमति के बिना बदले नहीं जा सकते हैं।
22. सदस्य द्वारा आपसे ट्रेडिंग हेतु लिए जाने वाले समस्त दलाली, कमीशन, शुल्कों व अन्य प्रभारों तथा SEBI कमोडिटी एक्सचेंजों (Commodity Exchanges) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रासंगिक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें।
23. सदस्य के पक्ष में देय खाते में भुगतान (एकाउंट पेयी) बैंक द्वारा भुगतान करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सदस्य को आप द्वारा भुगतान/कमोडिटीज (Commodities) जमा, आरंभ तिथि, कमोडिटी, मात्रा, जिस बैंक/डीमैट खाते में (गोदाम रसीदों के रूप में) और जिस बैंक/डीमैट खाते से जमा किया गया हो, उसके दस्तावेजी साक्ष्य हों।
24. आप द्वारा सदस्य को चालू खाता बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में, एक्सचेंज से भुगतान प्राप्ति से एक कार्यदिवस में निधियों के भुगतान या कमोडिटीज की डिलीवरी (जैसा भी मामला हो) आपको नहीं की जाएगी। अतः इस संबंध में आप द्वारा सदस्य को चालू खाता प्राधिकार पर निम्न शर्तें लागू होंगी:
 - a) आप द्वारा ऐसे प्राधिकार पर केवल आप द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और वे उपबंध निहित हों जो आप किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
 - b) खाता विवरण से संबंधित कोई विवाद, आपको निधियों/कमोडिटीज या विवरण, जैसा भी मामला हो, की प्राप्ति की तिथि से 7 (सात) कार्यदिवसों के अंदर सदस्य के संज्ञान में लाना होगा। विवाद की स्थिति में मामले से लिखित रूप में संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ को अविलम्ब सूचित करें।
 - c) यदि आपने चालू खाता बनाए रखने का विकल्प नहीं चुना हो और एक्सचेंजों से भुगतान प्राप्ति के बाद अगले कार्यदिवस में भुगतान प्राप्त न हुआ हो तो कृपया मामले से सदस्य को अवगत कराएं। कोई विवाद होने की स्थिति में लिखित रूप में संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ के समक्ष तत्काल शिकायत दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
 - d) ट्रेडिंग दिवस के आखिर में, कमोडिटी एक्सचेंजों से ट्रेड पुष्टिकरण अलर्ट्स/लेनदेन के विवरण SMS या ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कृपया अपना मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी सदस्य के यहां पंजीकृत कराएं।

25. विशेषरूप से कमोडिटी डेरिवेटिव (Commodity Derivative) बाज़ार में भुगतानचूक या सदस्य के ऋणशोधन अक्षम या दिवालिया हो जाने की स्थिति में, आपको खुद को उस धनराशि या अन्य संपत्ति के संरक्षण प्रावधानों से भलीभांति परिचित कर लेना चाहिए जो आपने अपने सदस्य के पास जमा की हो सकती है।
26. कृपया सुनिश्चित करें कि सदस्य के पास ऐसी धनराशि या संपत्ति जमा होने का दस्तावेजी साक्ष्य आपके पास मौजूद हो, जिसमें इसका जिक्र हो कि किस खाते में वह धनराशि या संपत्ति जमा की गई है।
27. संबंधित सदस्य/अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपकी समस्या/शिकायत/मसले का समाधान न किए जाने की स्थिति में, आप मामले को संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज के समक्ष ले जा सकते हैं। यदि आप अपने परिवाद के समाधान से संतुष्ट न हों तो आप मामला SEBI के समक्ष उठा सकते हैं।

ऐसा मत करें

1. किन्हीं अपंजीकृत मध्यस्थों से सौदे मत करें।
2. बाज़ार के बाहर लेनदेन मत करें क्योंकि ऐसे लेनदेन गैरकानूनी होते हैं और एक्सचेंज के अधिकारक्षेत्र के बाहर होते हैं।
3. किसी सदस्य से सुनिश्चित प्रतिफल समझौता मत करें।
4. लुभाने वाले विज्ञापनों, अफवाहों, आकस्मिक सुझावों, प्रतिफलों के स्पष्ट/अंतर्निहित वादों के झांसे में मत आएं।
5. सदस्य को कोई नकद भुगतान मत करें/मार्जिन और निपटान के संबंध में सदस्य से कोई नकद लेनदेन मत करें।
6. जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज पढ़ने और समझने से पहले ट्रेडिंग मत शुरू करें।
7. फोन पर दिए उच्चतर मूल्य के आर्डरों को लिखित में कर लेने के प्रति लापरवाही मत करें।
8. बिना हस्ताक्षर के/प्रतिलिपि कांट्रैक्ट नोट/पुष्टिकरण मेमो स्वीकार मत करें।
9. किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कांट्रैक्ट नोट/पुष्टिकरण मेमो स्वीकार मत करें।
10. अपने इंटरनेट ट्रेडिंग खाते का पासवर्ड किसी को मत बताएं।
11. सदस्य को कमोडिटीज के भुगतान/डिलीवरी में विलम्ब मत करें।
12. निवेशों से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखना मत भूलें।
13. कमोडिटीज तैयार करते समय रिक्त निर्देश पर्चियों (DIS) पर हस्ताक्षर मत करें, समय की बचत के लिए डिपॉजिटरी साझेदार (DP) या सदस्य के पास वे जमा करें और/या रखें।
14. एक्सचेंज द्वारा निर्धारित दर से अधिक ब्रोकरेज का भुगतान मत करें।
15. अधिकृत व्यक्ति के नाम से चैक जारी मत करें।